

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या - 139/2021

पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

- 1 सन्तोकराम पिता राधाकिशन साधू उम्र वयस्क निवासी आमली वारेठ तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
----- (प्रार्थी)

बनाम

- 1 छोदू पिता राधाकिशन साधू उम्र वयस्क निवासी आमली वारेठ तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 2 रतन पिता भित्रीलाल साधू उम्र वयस्क निवासी आमली वारेठ तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 3 गोपाल पिता कानदास साधू उम्र वयस्क निवासी आमली वारेठ तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 4 कृष्णगोपाल पिता घीसाराम बैरागी उम्र वयस्क निवासी आमली वारेठ तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 5 भूमिधारी तहसीलदार फूलियाकला जिला भीलवाड़ा

----- (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री शिवराज शर्मा

अप्रार्थी अधिवक्ता- श्री विजय पाराशर


प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 28.06.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में दिनांक 16.12.2021 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम आमली वारेठ पटवार मण्डल बालापुरा भू.अ.नि. बांसेडा तहसील फूलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 435 के आ.न. 651, 652, 726 किता 3 रकबा 0.93 हैक्टर, भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 21.12.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर लिए गये है। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय पाराशर द्वारा अधिकार पत्र व जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिसे रिकार्ड पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी क्रम 03 की ओर से जरिये अधिवक्ता खण्डन/प्रतिरोध स्वरूप प्रस्तुत किये गये जवाब में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 652 को प्रार्थी ने अपने पक्ष में राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगती कर आवंटन करवा लिया था। जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थी कभी काबिज नहीं रहा है। शुरुवात से ही खसरा संख्या 652 पर अप्रार्थी संख्या 03 काबिज हो भूमि का उपभोग उपयोग करता चला आ रहा है। उक्त भूमि पर जवाबदाता का कुंआ खुदा हुआ है एवं जवाबदाता के नाम पर विद्युत कनेक्शन भी हो रखा है। आवंटन निरस्तिकरण के लिए अप्रार्थी द्वारा विरुद्ध प्रार्थी के माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय के यहां अन्तर्गत धारा आवंटन निरस्तिकरण नियम 14(4) के तहत परिवाद प्रस्तुत किया हुआ है, जो वर्तमान में विचारणीय है। न्यायालय यदि इस मौजूदा प्रार्थनापत्र में किसी भी प्रकार का निर्णय पारित करता है तो यह विधि द्वारा प्रतिप्रादित सिद्धांतों के विरुद्ध होगा और मौके पर सीमा को लेकर विवाद की स्थिति भी अधिक होगी। अतः सादर निवेदन है प्रार्थनापत्र प्रार्थी इसी स्तर पर अस्वीकृत किया जावें। शेष रहे विपक्षीगण सूचित होने के उपरान्त भी सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।


उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकला, जिला-भीलवाड़ा

(2)


उभयपक्षों के नियुक्त विद्वान अभिभाषकों ने सुनवाई पर अपने अपने अभिवचनों से उनके द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रार्थनापत्र/जवाब प्रार्थनापत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया। जिन्हे सुना जाकर उनके तर्कों पर मनन/चिंतन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर खण्डन स्वरूप प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र एवं अपने अपने समर्थन में प्रस्तुत कराये गये दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन/परीक्षण किया गया।

उपरोक्त विवेचन/विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि समान अनवानी आराजीयात का एक परिवाद पत्र माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय के यहां अन्तर्गत धारा आवंटन निररितकरण नियम 14(4) के तहत वर्तमान में जैर कार्यवाही है। जिसकी ताईद अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कराये गये साक्ष्य/सबूत से होती है। यंहा यह स्पष्ट करना भी न्यायालय उचित समझता है कि यदि इस मौजूदा प्रार्थनापत्र में न्यायालय किसी प्रकार का निर्णय पारित करता है, तो सीधे सीधे तौर पक्षकारान के हक प्रभावित होंगे। एवं इसके विपरीत प्रार्थी की और से अप्रार्थी के अभिकथनो एवं प्रस्तुत दस्तावेजी/साक्ष्य का कोई ठोस खण्डन भी रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि विवादित खसरे पर किसी भी प्रकार का निर्णय किया जाना विधि विरुद्ध होगा।

आदेश

अतः समान अनवानी, आराजीयात का प्रकरण माननीय अपर न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में विचारणीय होने से प्रार्थनापत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 में आगे की कार्यवाही इसी स्थगित कर, प्रार्थनापत्र को अस्वीकार किये जाने की आज्ञा दी जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
फूमिवाकला, जिला भीलवाडा